प्रेस नोट

दिनांक 07.05.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

"ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत थाना गौरीगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही, भारी मात्रा में गांजा बरामद ।

"नशा मुक्त अमेठी अभियान" के अन्तर्गत 10 किलो 100 ग्राम गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रूपये) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल व मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** अभियान तथा "**नशा मुक्त अमेठी अभियान**" के तहत दिनांक 07.05.2026 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा संदिग्धों की चेकिंग व देखभाल क्षेत्र के दौरान सैंठा बार्डर के पास प्रतापगढ़ की ओर से आ रहा **प्लेटिना मोटरसाइकिल संख्या यूपी 72 बीयू 2684 सवार अभियुक्त घनश्याम कुमार शुक्ल पुत्र रामकुमार शुक्ल निवासी पूरे बल्दी मजरे रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया । तलाशी से मोटरसाइकिल की डिग्गी से व मोटरसाइकिल पर टंगे 02 झोलों से अलग-अलग 06 पैकेटों में कुल 10 किलो 100 ग्राम गांजा व गांजा क्रय-विक्रय की घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि **वह पिछले कुछ महीनों से गांजा बेचनें का काम कर रहा है व मोबाइल फोन में वेब एप के माध्यम से जी.एस. नाम के व्यक्ति से बात करके प्रयागराज के सांसों के पास से गांजा लाता है । जी.एस. उपरोक्त का कोई नंबर नहीं है, वह गांजे की फोटो वेब एप पर भेजकर दिखाता है जिससे बात करके अभियुक्त 30 किलोग्राम गांजा लाया था जिसमें शेष गांजा आज बरामद हुआ है ।** बरामदगी के आधार पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 109/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- घनश्याम कुमार शुक्ल पुत्र रामकुमार शुक्ल निवासी पूरे बल्दी मजरे रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी-

1. 10 किलो 100 ग्राम गांजा । **(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रूपये ।)**
2. गांजा क्रय-विक्रय की घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन ।
3. घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल संख्या यूपी 72 बीयू 2684 ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 109/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार पाल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 बीएल रावत थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।